the so-called help line service kept in the Andhra Government may become a helpless line. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Government has taken note of it.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, a full-fledged discussion maybe taken up.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, thank you. Shrimati Chandra Kala Pandey.

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल): सिर्फ आंध्र प्रदेश में नहीं, पूरे देश में किसानों की हालत बहुत खराब हुई है।

उपसभापति: सब जगह हुई है।

SPECIAL MENTIONS

Demand for Central Legislation to ban comercialisation of education

श्रीमति चन्द्रकला पांडे (पश्चिमी बंगाल): उपसभापति महोदय, आज देश के विविध राज्यों से भारत के छात्र फेडरेशन ऑफ इंडिया एवं अन्यान्य वामपंथी संगठनों के प्रतिनिधि एक बहुत बड़ी संख्या में अपनी जनतांत्रिक मांगों को लेकर संसद के समक्ष प्रदर्शन एवं उसके पश्चात 48 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं। मैं आपके माध्यम से उनकी मांगों को मानव संसाधन मंत्रालय तक पहुंचाना चाहती हूं।

महोदय, वर्तमान सरकार के संयुक्त साझा कार्यक्रम में यह कहा गया है कि अपनी आर्थिक अक्षमता के कारण किसी को भी उच्च शिक्षा से वंचित नहीं होने दिया जाएगा लेकिन शिक्षा के व्यवसायीकरण पर बिना रोक लगाए यह आश्वासन कभी पूरा नहीं होगा। अदालत ने शिक्षण संस्थाओं को अपनी फीस का ढांचा एवं प्रवेश प्रक्रिया तय करने की पूरी आज़ादी दे दी। हालांकि अदालत ने निजी मैनेजमेंट को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ों का ध्यान रखने की भी सलाह दी है किन्तु बिना किसी केन्द्रीय विधेयक के इस सलाह पर कोई अमल नहीं करने वाला। भारत में गैर सरकारी शिक्षणालयों की संख्या बढ़ती जा रही है जिन्हें नियंत्रित करने के लिए केन्द्रीय कानून बनाया जाए। प्राइवेट डीम्ड विश्वविद्यालयों की भर्ती, फीस और केपीटीशन की धांधली को रोकने के लिए आज डीम्ड विश्वविद्यालयों का दर्जा निजी संस्थानों के लिए एक कोरे चैक की तरह रह गया है। अत: इनको भी एक केन्द्रीय विधेयक के अंतर्गत लाने की जरूरत है। भारत के अग्रणी छात्र संगठन द्वारा प्रस्तावित मॉडल ऐक्ट, जो तमाम प्रकार के शैक्षणिक जगत की धांधलियों की अनियमितताओं को दूर कर सकता है, ऐसे में ध्यान देने योग्य है। मैं आपके माध्यम से शिक्षा के व्यवसायीकरण को दूर करने, प्राइवेट डीम्ड विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण

रखने और राज्य सरकारों को स्वपोषित निजी शिक्षण संस्थानों पर नियंत्रण रख पाने में सक्षम एक केन्द्रीय कानून की तत्काल मांग करती हूं जिससे उच्च शिक्षा के लाभ से सभी को लाभान्वित किया जा सके।

SHRI MANOJ BHATTACHARYA (West Bengal): Sir, I associate myself with the Special Mention made by my colleague, Smt.Chandrakala Pandey. Thank you.

SHRI TARINI KANTA ROY (West Bengal): Sir, I also associate myself with the special Mention made by my colleague. Thank you.

डा॰ कुमकुम राय (बिहार) : उपसभापति महोदय, मैं स्वयं को इस विषय से सम्बद्ध करती हूं।

श्रीमती जया बच्चन (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, मैं भी अपने आपको इस विषय से सम्बद्ध करती हूं।

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल) : उपसभापति महोदय, बहुत ही ज़रूरी मुद्दे की ओर हमारे सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है। मुक्त बाज़ार अर्थव्यवस्था के इस दौर में शिक्षा भी किस तरह बाज़ार की वस्तु बना दी गई है और एक जनतांत्रिक समाज में, शिक्षा का अधिकार मनुष्य का मूलभूत अधिकार है, इस अधिकार से हमारी राज्य व्यवस्था भी इंकार कर रही है। ऐसे में आज बहुत ज़रूरी है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो निजी संस्थान हैं, जिनकी मुनाफे की प्रवृत्ति सुरसा के मुंह की तरह लगातार बढ़ती जा रही है, उन पर किसी न किसी तरह का नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकी बेलगाम मुनाफे की प्रवृत्ति के चलते हज़ारों, लाखों प्रतिभाएं, उच्च शिक्षा के प्रांगण में जाने से वंचित हो रही हैं। उपसभापति जी, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूं कि हमारे देश के अग्रणी छात्र संगठन आज जिस मांग को लेकर संसद के बाहर मार्च कर रहे हैं, उनकी मांगों पर सरकार सहानुभूति के साथ विचार करे और उन्होंने जिस मॉडल ऐक्ट की बात कही है, उस मॉडल ऐक्ट पर माननीय शिक्षा मंत्री जी विचार करें और तुरंत इस पर निर्णय लें, क्योंकि इनको बेलगाम छोडने का मतलब है, शिक्षा की ये जो दुकानें बनती जा रही हैं, इन दुकानों को बढ़ावा देने का अर्थ शिक्षा के मूल सार को खत्म करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए, धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Santosh Bagrodia-Not present. Shri Ravula Chandra Sekar Reddy.

Need for drought relief for Andhra Pradesh

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY (Andhra Pradesh): Sir, my Special Mention is pertaining to Drought relief for Andhra Pradesh.